न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 213/2022

अनवान मुकदमा –

1. राजू पुत्र माडूराम जाति कुम्हार साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. वेदप्रकाश पुत्र माडूराम जाति कुम्हार साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. माडूराम पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. ममता पुत्री माडूराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति कुम्हार साकिन 2 पीपीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

-- प्रतिवादीगण

–:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता --- वादीगण
2. श्री शलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 व 2

–:: निर्णय :–

दिनांक – 01/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि

वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में है। जहां तक दावा हाजा का सम्बंध है सजरा खानदान पेश किया गया है।

प्रतिवादी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 38/36 के प.नं. 42/340 (30) किला नं. 1, 2/2, 9/2, 10, 11, 12/3, 19/2, 20, 21/2, 22/2 की 1.550 हैक. कमांड अनकमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं.1 को अपने पिता नन्दराम से प्राप्त हुई है जो वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है जिसमें प्रतिवादी सं.2 ने अपना तमाम हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में छोड़ दिया है वह इस भूमि में अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। वादीगण को घरू बंटवारा में निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई है –

क. वादी सं.1 को प्राप्त भूमि –
तहसील पीलीबंगा के चक 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 38/36 के प.नं. 42/340 (30) किला नं. 10, 11 की 0.506 हैक. कमांड [illegible]

ख. वादी सं.2 को प्राप्त भूमि –
तहसील पीलीबंगा के चक 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 38/36 के प.नं. 42/340 (30) किला नं. 19/2/.025 (किला नं. 20 के चिपते), 20, 21/2/.228 की 0.506 हैक. कमांड खातेदारी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:25 IST
Reason: SelfAttested

01.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 के नाम यथावत रहेगी।

वादीगण को प्राप्त भूमि पर वादीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि की वादीगण वाद पत्र की दफा 4 की उपदफा क, ख अनुसार खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है-

(क) वादी सं.1 -
तहसील पीलीबंगा के [illegible] खाता सं. 38/36 के प.नं. 42/340 (30) किला नं. 10, 11 की 0.506 [illegible] खातेदारी।

(ख) वादी सं.2 -
तहसील पीलीबंगा के चक 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 38/36 के प.नं. 42/340 (30) किला नं. 19/2/.025 (किला नं. 20 के चिपते), 20, 21/2/.228 की 0.506 हैक. कमांड खातेदारी।

01.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:25 IST
Reason: SelfAttested

शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं.। के नाम यथावत रहेगी।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

01.06.2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आ0–20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :– 213/2022

अनवान मुकदमा –

1. राजू पुत्र माडूराम जाति कुम्हार साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. वेदप्रकाश पुत्र माडूराम जाति कुम्हार साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– वादीगण

बनाम

1. माडूराम पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. ममता पुत्री माडूराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति कुम्हार साकिन 2 पीपीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

–– प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:–

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 01/06/2022

वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर श्री शलेन्द्र कुमार नायक, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है–

(क) वादी सं.1 –

तहसील पीलीबंगा के चक 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 38/36 के प.नं. 42/340 (30) किला नं. 10, 11 की 0.506 हैक. कमांड खातेदारी।

(ख) वादी सं.2 –

तहसील पीलीबंगा के चक 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 38/36 के प.नं. 42/340 (30) किला नं. 19/2/.025 (किला नं. 20 के चिपते), 20, 21/2/.228 की 0.506 हैक. कमांड खातेदारी।

शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 के नाम यथावत् रहेगी।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेश किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:18:25 IST
Reason: SelfAttested

01.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आदेश आज दिनांक 01/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.06.2022

(रणजीत कुमार) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:25 IST
Reason: SelfAttested